न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०–एम० 105 / 2020 धारा–144 द०प्र०सं०

अब्दुल मजीद..प्रथम पक्ष

बनाम

आयसा खातून..द्वितीय पक्ष

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

22.09.2020

प्रस्तुत वाद में आवेदक के आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर उक्त विवादित जमीन को लेकर उभय पक्ष में शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए विवादित भूमि पर द० प्र० सं० की धारा–144 के तहत दोनो पक्षों के विरूद्व कार्यवाही प्रारंभ किया गया। साथ–ही साथ उभय पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से 60 (साठ) दिनों तक के लिए रोक लगाया गया।

उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

विवादित भूमि विवरणी

मौजा–रड़गांव, थाना–तमाड़,

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
07	725	0.69 ए० मध्ये 0.03 ए०	उ०–आवेदक द०–आवेदक पू०–आवेदक प०–आवेदक

वाद में द्वितीय पक्ष को रजिस्ट्री डाक द्वारा नोटिस तामिला हेतु भेजा गया, परन्तु वाद में फिर भी अनुपस्थित रहा।

प्रथम पक्ष का पक्ष

प्रथम पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने पक्ष में निम्न उल्लेख किये हैं:–

1. यह है कि विवादित भूखण्ड मौजा–रड़गांव, थाना–तमाड़, जिला–राँची के खाता संख्या–7 प्लॉट संख्या–725, रकवा–0.69 ए० मध्ये 0.03 ए० खतियान मे बकास्त खेंवट संख्या–3/4 के अन्तर्गत दर्ज है। विवादित आर. एस. खाता संख्या–7 अन्दर खेंवट संख्या–3/4 आर. एस. मापी के समय में ही सुधार कर 3/2 में चला गया है, जो खतियान एवं खेंवट में दर्ज है। खेंवट संख्या–3/2 शेख रजब अली के नाम से दर्ज है। शेख रजब अली के पुत्र शेख मोहम्मद अमान हुए। शेख मोहम्मद अमान के पुत्र शेख अब्दुल मन्नान वो रोशन अली वो रियासत अली हुए। रोशल अली के पुत्र अब्दुल रउफ वो अब्दुल मजीद वो मो0 हबीव हुए। इस वाद में अब्दुल मजीद प्रथम पक्षकार है।

2. यह है कि विवादित जमीन प्रथम पक्ष की खतियानी संपति है। प्र0 प0 का शांति पूर्वक दखल एवं कब्जा है। विपक्षी के द्वारा दिनांक 06/08/2020 को अपने सहयोगियों के साथ मकान बनाने के लिए निंव खोद रहा था। मना करने पर मारने पीटने की धमकी दिया गया। विवादित जमीन को लेकर द्वितीय पक्ष के हाथों ही शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है। उन्होने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–144 के तहत प्रथम पक्ष के हित में रिक्त एवं इसी नियम पर द्वितीय पक्ष के विरूद्व प्रतिबंधित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

ধ..

22.09.2024

आदेशः–

प्रथम पक्ष के एकपक्षीय बहस को सुनने एवं प्रथम के द्वारा दाखिल किये कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित जमीन को लेकर द्वितीय पक्ष के हाथों ही शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है। अतः दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–144 के तहत प्रथम पक्ष के हित में रिक्त किया जाता है एवं इसी नियम पर द्वितीय पक्ष के विरूद्ध प्रतिबंधित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधति।

अनुमण्डल दण्डाधिकरी
बुण्डू, राँची।

अनुमण्डल दण्डाधिकरी
बुण्डू, राँची।